न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

प्रकरण सख्या : 51/2018

1. चौथमल
2. बाबूलाल
3. पांचूलाल
4. रामप्रसाद

} पुत्रान बजरंगलाल जाति चमार निवासीगण श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी साकली

.... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मदनलाल
2. रामकुवांर

} पुत्रान बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी साकली तहसील बारां

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 आर.टी.एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
दायर दिनांक–15.06.2018 निर्णय दिनांक : 15.06.2018

वादपत्र में वादीगण ने कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 सगे भाई है जिनके खाते की आराजी खाता संख्या 73 खसरा नं0 394/536 रकबा 0.96 है0 भूमि ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

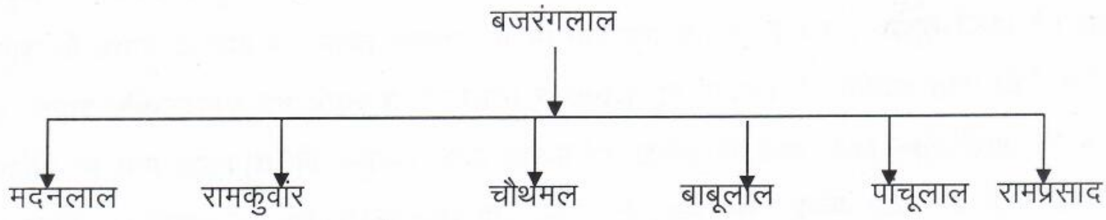

मृतक बजरंगलाल ने अपने जीवनकाल में ही प्रतिवादी मदनलाल के नाम से ग्राम श्यामपुरा में स्थित भूमि खाता संख्या 71 खसरा नं0 394/546 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 394/547 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 है0 एवं प्रतिवादी रामकुवांर के नाम से ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल में स्थित भूमि खाता संख्या 99 खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 394/487 रकबा 0.31 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 भूमि ऐलोट करवायी थी जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 सभी मद नं0 1 व 2 में अंकित भूमि पर बराबर अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त है। तथा आवंटन राशि भी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 ने संयुक्त रूप से जमा करवायी थी। इसलिए वादीगण उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 71 व खाता संख्या 99 वाके ग्राम श्यामपुरा में स्थित भूमि पर समान रूप से

क्रम 1 व 2 के साथ खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है क्योकि सभी के द्वारा हिस्सा बराबर काश्त की जा रही है। अतः सादर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 इस आशय की की जावे कि ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल में प्रतिवादी कम 1 मदनलाल के नाम दर्ज आराजी खाता संख्या 71 खसरा नं0 394/546 रकबा 0.96 है0 में वादीगण व प्रतिवादी कम 2 को खातेदार मदनलाल के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावें तथा ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल में प्रतिवादी कम 2 रामकुवांर के नाम दर्ज आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 394/487 रकबा 0.31 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 को खातेदार रामकुवांर से साथ संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.06.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने मजमेंआम में उपस्थित होकर दिनांक 15.06.2018 को जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 ने अपने जवाब दावा में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समस्त बिन्दुओ को स्वीकार किया है एवं किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करवायी है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। चूकि प्रतिवादीगण को ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या 71 खसरा नं0 394/546 रकबा 0.96 है0 व आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 394/487 रकबा 0.31 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 में वादीगण को बराबर का हिस्सेदार दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है। वाद पत्र वादीगण के समर्थन में गवाहन कमशः चौथमल पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा, बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा, पांचूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा, रामप्रसाद पुत्र बजरंगलाल जाति चमार निवासी श्यामपुरा, रामकुवांर पत्रु बजरंगलाल निावसी श्यामपुरा, मदनलाल पुत्र बजरंगलाल निवासी श्यामपुरा व रामदयाल पुत्र लटूरलाल जाति मीणा निवासी श्यामपुरा व बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी श्यामपुरा के बयान करवाये गये उक्त गवाहान ने भी वादीगण के पक्ष में बयान प्रस्तुत किया है। अतः उक्त गवाह, जवाब प्रतिवादीगण एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं वादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये निवेदन के आधार पर ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या 71 खसरा नं0 394/546 रकबा 0.96 है0 व आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 308 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 394/487 रकबा 0.31 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 आराजी में वादीगण को प्रतिवादी कम 1 व 2 के साथ बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार मांगरोल तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। बैंक ऋण समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण सामूहिक रूप से जमा करावेगें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प हिंगोनिया